

सं०सं०-8/ज० सं०(नि०)देव०-06/2011:-

/राँची, दिनांक-

संकल्प

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री महादेव पंडित ने जबकि वे प्रतिनियुक्त कनीय अभियंता, सिंचाई अवर प्रमंडल सं०-2, लिट्टीपाड़ा शिविर-महागामा, गोड्डा के पद पर पदस्थापित थे, घोर अनियमितता, कदाचार, अनुशासनहीनता बरती है जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेख है।

अतएव झारखण्ड राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि उक्त श्री महादेव पंडित, कनीय अभियंता के विरुद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम-55 के अन्तर्गत विहित रीति से कार्यवाही की जाय।

2- श्री महादेव पंडित से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान अधीक्षण अभियंता, रूपांकण अंचल, देवघर के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें, जिन्हें इसके द्वारा इस कार्यवाही के संचालन के लिए जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3- उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने के लिए कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल दुमका को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4-प्रस्ताव पर सचिव/ उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन मंत्री)/ मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति अनुबंध की प्रति के साथ:- अधीक्षण अभियंता, रूपांकण अंचल, देवघर / कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, दुमका/ श्री महादेव पंडित तत्कालीन प्रतिनियुक्त कनीय अभियंता, सिंचाई अवर प्रमंडल सं०-2, लिट्टीपाड़ा शिविर-महागामा, गोड्डा सम्प्रति सिंचाई प्रमंडल, दुमका को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
ह०/-
(डॉ०लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-

/राँची, दिनांक -

प्रतिलिपि:-अनुबंध की प्रति के साथ- अधीक्षण अभियंता, रूपांकण अंचल, देवघर/ कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, दुमका/ श्री महादेव पंडित तत्कालीन प्रतिनियुक्त कनीय अभियंता, सिंचाई अवर प्रमंडल सं०-2, लिट्टीपाड़ा शिविर-महागामा, गोड्डा सम्प्रति सिंचाई प्रमंडल, दुमका को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

2- जाँच पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे इस कार्यवाही का निष्पादन अधिक से अधिक दो माह के अन्दर सम्पन्न कर अपना जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार को समर्पित करेंगे साथ ही साथ कार्यवाही से अवगत कराते रहेंगे एवं कार्यवाही अभिलेख की एक प्रति भी भेजा जाय।

3- प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कृपया जाँच पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उनका निदेश प्राप्त करें।

(कृ०पृ०उ०)

4- आरोपित पदाधिकारी यदि इस संबंध में कोई अभिलेख /कागजात देखना चाहते हैं तो अद्योहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर देख लें और हर स्थिति में अपना लिखित बयान निर्धारित अवधि के अन्दर कर दें अन्यथा बिलम्ब की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

ह0/-
(डॉ.लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 1798 /राँची, दिनांक: 26-2-14
प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव (प्रबंधन) जल संसाधन विभाग, राँची / अवर सचिव
(प्रभारी प्रशाखा-1), जल संसाधन विभाग, राँची / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को
सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ.लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।
21.2.14